



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामलों में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. ऋतिक उर्फ गोली पुत्र सुशील निवासी छपरौली थाना छपरौली जिला बागपत व 2. अरशद पुत्र वहीद निवासी छपरौली थाना छपरौली जिला बागपत व 02 अन्य अज्ञात द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 247/24 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मात्र 24 घण्टे में युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामलों में वांछित 02 अभियुक्तगण 1- ऋतिक उर्फ गोली पुत्र सुशील निवासी छपरौली थाना छपरौली जनपद बागपत व 2- अरशद पुत्र वहीद निवासी छपरौली थाना छपरौली जनपद बागपत को बेलडा नहर पुल से गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता को सकुशल बरामद। गिरफ्तारी व पीडिता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

- 1- ऋतिक उर्फ गोली पुत्र सुशील निवासी छपरौली थाना छपरौली जिला बागपत
- 2- अरशद पुत्र वहीद निवासी छपरौली थाना छपरौली जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- 1- उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 2- म0उ0नि0 अन्नु परिहार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 3- हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07-11-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06/11/2024 को मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्तगण 1. तनवीर पुत्र हासिम नि0 धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर व 2. इस्लाम पुत्र कमरुद्दीन नि0 ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह सहारनपुर को शोभित यूनिवर्सिटी रोड प्रकाश पुरम कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 35 ग्राम नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 491/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग नशे के आदी हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिये स्मैक को बेचने का काम करते हैं। स्मैक बेचने के काम में अच्छी हो जाती है तथा स्मैक बेचकर जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को हम लोग घूमने फिरने/ मौज मस्ती व अपनी नशे की लत को पूरा करने में खर्च कर देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. तनवीर पुत्र हासिम नि0 धलापडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 24 वर्ष
2. इस्लाम पुत्र कमरुद्दीन नि0 ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह सहारनपुर उम्र करीब 58 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

35 ग्राम नाजायज स्मैक

अभियुक्त इस्लाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 226/04 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 17/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0,
4. मु0अ0सं0 504/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 491/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 2552 रक्षित चहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा पशु चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 पशु चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4100/- रुपये नकद व अवैध असलाह/कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.24 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम अम्बोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से कटडा व भैस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 581/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पशु चोरी के मुकदमें में प्रकाश में आये वांछित पशु चोर/अभियुक्त जावेद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम भन्हेडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को 01 एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 4100/- रुपये नकद सहित ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग से हुलासगढ को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से बरामद मोटर साईकिल स्पलेण्डर UP11AV0582 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जावेद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम भन्हेडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी:-

4100/- रुपये नकद

01 तमन्चा मय जिन्दा कारतूस 315 बोर

01 मोटरसाईकिल सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

अभियुक्त जावेद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 132/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 749/27 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 250/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 637/17 धारा 380/411 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 682/17 धारा 307/399/402 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 692/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 835/17 धारा 2(b) (iii) गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0स0 248/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 794 अरुण सोलंकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. का0 2398 अमरजीत थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. का0 2511 शिवम कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-11-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व 02 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2024 को वादी श्री आकाश पुत्र सुशील निवासी ग्राम बिलासपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से वादी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UK17T3960 को चोरी कर ले जाने तथा मोटरसाइकिल की डिग्गी में 02 मोबाइल फोन को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 607/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण 1. तेजवीर पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2. आनन्द पुत्र सतपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड व 3. प्रवेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को स्व0 कुन्दन सैनी की समाधि के पास शिवपुर-डंकोवाली मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व 02 मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने पैसो के लालच में आकर दीवाली की रात दिनांक 31.11.24 को समय रात में करीब 10 बजे यह मोटरसाइकिल व इसकी डिग्गी में रखे दो मोबाइल फोन चोरी कर लिये थे, हम लोग कई दिनों से इन्हे बेचने की फिराक में थे और आज भी हम इस मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. तेजवीर पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. आनन्द पुत्र सतपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
3. प्रवेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मानकपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण:-

- 01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UK17T3960
- 01 आईफोन एक्स आर IMEI 353080105492859 (अभियुक्त प्रवेश उपरोक्त से)
- 01 रेडमी का मोबाइल IMEI 863290050268930 (अभियुक्त आनन्द उपरोक्त से)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राहुल देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 528 बिट्टू थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 1830 शुभम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. का0 2076 धर्मेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. का0 1919 यसवीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.24 को उच्चाधिकारीगणों द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट जिसका गैंग लीडर अभियुक्तगण 1.मोबीन उर्फ भूरा पुत्र मुनफैत निवासी ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 2. सलमान पुत्र पप्पू उर्फ शमशाद निवासी ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 3-नासिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 4-उस्मान पुत्र जहूर उर्फ जाहूर अहमद निवासी छोटी नहर मंसूर कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 5-सौरन सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 6-मौ0 आलमगीर उर्फ आलम पुत्र बुन्दूहसन निवासी सलमान कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 7-जहांगीर आलम पुत्र मौ0 आलमगीर उर्फ आलम निवासी सलमान कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 385/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित **अभियुक्त सौरन सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम दैदपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरन सिंह उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सौरन सिंह उर्फ सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 02/24 धारा 307/147/148/149/120 बी भादवि, 3/25/27 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध रूप पशु कटान करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 चाकू नाजायज, 01 छुरी, 01 सुजा, 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 रास रस्सी व मौके से करीब पांच कुन्तल भैस का मीट, तीन कटरे के सिर व 12 पैर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.24 को पुलिस मण्डी टीम चैकिंग के दौरान पीर वाली गली नम्बर 25 पहुँचे तो उस्मान साईकिल वाले के मकान के अन्दर से खटपट की आवज सुनाई दी शक होने पर जाकर देखा तो अन्दर दुकान के पीछे बने गोदाम टाईप पक्के मकान में बिना अनुमति के काट रहे हैं, इस पर पुलिस मण्डी टीम द्वारा बिना देरी किये एक बारगी दबिश देकर अभियुक्तगण 1. मौ0 असलुब पुत्र अय्युब निवासी इनाम कालोनी 62 फुट रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 2. उस्मान पुत्र इरशाद अहमद निवासी पीर वाली गली न0 25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 434/24 धारा 3/11 पशु कुरता अधिनियम व धारा 271/272 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मौ0 असलुब पुत्र अय्युब निवासी इनाम कालोनी 62 फुट रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर,
2. उस्मान पुत्र इरशाद अहमद निवासी पीर वाली गली न0 25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:- (असलुब)

1. 412/2017 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. 696/2018 धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
3. 291/2020 धारा 188, 270 भाद0वि0, धारा 03 महामारी अधिनियम, 1897 थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

02 चाकू नाजायज, 02 छुरी, 01 सुजा, 01 कुल्हाड़ी, 02 रास रस्सी, 05 कुन्तल भैस का मीट, 03 कटडे के सिर व 12 पैर आदि सामान बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. कां0 2221 लोकेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 2527 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी व वादी के भाई की पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 388/24 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सुधीर पुत्र रामेश्वर ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुना नगर हरियाणा, 2. साहिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी थाना व कस्बा छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा, 3. संजीव पुत्र राजेश निवासी करनाल हरियाणा व 4. सोनू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुनानगर हरियाणा के विरुद्ध धारा 70(1)/87 बीएनएस की वृद्धि की गयी व धारा 137(2) बीएनएस का विलोपन करते हुए मुकदमें प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 वांछित अभियुक्तगण 1. सुधीर पुत्र रामेश्वर ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुना नगर हरियाणा व 2. साहिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी थाना व कस्बा छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा को गुरुनानक ढाबा घंटाघर, सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सुधीर पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुना नगर हरियाणा
2. साहिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी थाना व कस्बा छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 345 फारुख अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर